[redacted]

APP-1
crim-I

2023/62

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा बमुकाम

मदन गोपाल बनाम तहसीलदार पचपदरा वगैरह

किस्म मुकदमा 131, 136 RLR act नं. 33 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-2-23	प्रार्थी के वकील श्री नरपतचन्द ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर.एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या – 2 व 3 का संयुक्त खातेदारी खेत मौजा पचपदरा, पटवार हल्का पचपदरा, भू.अ.नि. पचपदरा, तहसील पचपदरा मे खेत खसरा संख्या 595, 596, 597 जिनका रकबा क्रंमशः 4,4009 हेक्टेयर, 20.1710 हेक्टेयर, 6. 3991 हेक्टेयर है का अवस्थित है । उक्त प्रश्नग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम ''मदरूपराम'' अंकित है । जबकि प्रार्थी का सही नाम ''मदन गोपाल'' है । प्रार्थी का घर पर बचपन का नाम ''मदरूपराम'' नाम होने से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो गया है। प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में आयकर विभाग से जारी पेन कार्ड की प्रति व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत कि जिसमें प्रार्थी का ''मदन गोपाल'' अंकित है । राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसमे प्रार्थी का नाम मदन गोपाल उर्फ मदरूपाराम अंकित है । प्रार्थी के उक्त दस्तावेजात के अलावा अन्य दस्तावेजात मे भी मदन गोपाल नाम अंकित होना बताया है एवं साथ ही निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख एवं अन्य सरकारी दस्तावेजात मे नाम मे एकरूपता नहीं होने से प्रार्थी को कई पेचीदगीयो का सामना करना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:30 IST
Reason: SelfAttested

2/2/23
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	पडता है उक्त लिपिक त्रुटि को सुधारना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है । अतः प्रार्थी का संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा पचपदरा, पटवार हल्का पचपदरा, भू. अ.नि. पचपदरा, तहसील पचपदरा मे खेत खसरा संख्या 595, 596, 597 जिनका रकबा क्रमशः 4,4009 हेक्टेयर, 20.1710 हेक्टेयर, 6.3991 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम 'मदरूपाराम'' से दुरस्त कर ''मदन गोपाल'' दर्ज करने के आदेश फरमाएं।
	हमने प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड हो । प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं सरकारी दस्तावेजता आयकर व आधार कार्ड की स्वंय प्रमाणित प्रतिलिपि व प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पचपदरा, पटवार हल्का पचपदरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 595, 596, 597 कमशः रकबा 4,4009 हेक्टेयर 20.1710 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम ''मदनरूपाराम'' के स्थान पर ''मदन गोपाल'' अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है की वे तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध नाम अंकित करना सुनिश्चित करवायें।
	पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।
	उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:30 IST
Reason: SelfAttested